राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

रेफरेन्स टी0 ए0 संख्या 3673/2004/पाली

सरकार बनाम केसूदान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.03.2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** श्री पूनम माथुर, राजकीय अभिभाषक, प्रार्थी श्री घनश्याम सिंह लखावत, अभिभाषक, अप्रार्थी श्री अजीत सिंह राठौड अप्रार्थी गणपतलाल की ओर से ----- यह रेफरेन्स प्रकरण हमारे समक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2004 के द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें राजस्व वाद संख्या 59/78 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.1980 को निरस्त करने की अनुशंषा की गई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय में दिनांक 27.12.78 को एक वाद केसुदान व मोतीदान द्वारा भैराराम आदि के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम आंगदोष तहसील खारची की खसरा संख्या 97, 98, 99, 107, 133, 141, 142, 61, 95, 96, 132 की कुल 42 बीघा 5 बिस्वा भूमि बाबत इन्द्राज दुरूस्ती की प्रार्थना की गई तथा कथन किया कि उक्त सम्पूर्ण 42 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण के खातदेारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा प्रथम बंदोबस्त जब हुआ उस समय भैराराम तथा भाना वादीगण के यहां नगद पारिश्रमिक लेकर मजदूर थे तथा सेटलमेट ने भाना तथा भैराराम का 1/3 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज कर लिया जो गलत दर्ज किया तथा प्रथम बंदोबस्त के पर्चे लगान बांटे गये उन दिनों वादीगण एक फौजदारी प्रकरण में निरूद्ध हो गये तथा उक्त प्रकरण चलते हुए अन्त में सुप्रीम कोर्ट से वादीगण बरी हुए उस समय तक उज्रदारी की अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रतिवादीगण को दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होंने दुरूस्ती कराने की	

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

रेफरेन्स टी0 ए0 संख्या 3673/2004/पाली

सरकार बनाम केसूदान

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहमति दी परन्तु बाद में प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया इस कारण अनुतोष प्रदान किया जावे। उक्त वाद न्यायालय में दर्ज होने के उपरान्त तलबी हेतु नियत किया गया तथा प्रतिवादी चेनाराम पुत्र भानाराम द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा वाद में आगामी विचारण कर बयान लेखबद्ध कर निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये। तथा तहसीलदार द्वारा इसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होना मानकर अनुसूचित जाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज होने का धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की तथा इसी अनुसरण में अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पक्षकारों को सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.80 को निरस्त करने की प्रार्थना की। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि के जो इन्द्राज थे वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी बाबत थे तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया जिसमें धारा 42 का उल्लंघन करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अनुचित है इस कारण निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अभिलेखों की पूर्व स्थिति को बहाल किया जावे। अप्रार्थी गणपतराम की ओर से श्री अजीत सिंह ने राजकीय अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया तथा रेफरेन्स स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी की ओर से घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधिपूर्ण होने से रेफरेन्स .खारिज किये जाने की प्रार्थना की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में जो अभिकथन अंकित किये गये तथा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर प्रथम बंदोबस्त के दौरान वादीगण के फौजदारी केस में निरूद्ध होने के कारण उज्रदारी प्रस्तुत नही की जा सकी तथा 1/3 हिस्से की भूमि के खातेदार वाद पत्र मे	

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

रेफरेन्स टी0 ए0 संख्या 3673/2004/पाली

सरकार बनाम केसूदान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज -: 3 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित प्रतिवादीगण किस प्रकार हो सकते है यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि पूरी 42 बीघा भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण गोविन्द सिंह आदि के पूर्वज रहे है तथा सक्षम न्यायालय में वाद में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण की गई है विधिपूर्ण तरीके से जवाबदावा प्रस्तुत किय गया है तथा न्यायालय की डिक्री के द्वारा दुरूस्ती किये जाने पर धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता तथा रेफरेन्स पोषणीय नहीं है अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा कृषक (आसामी) वादीगण थे भैरा व माना बटाई या लगान देकर काश्त करने वाले आसामी नहीं थे अपितु नगद मजदूरी लेकर उस समय काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में रेफरेन्स खारिज किया जावे तथा अपने तर्कों के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आरबीजे 2000 पृष्ठ 93, आरआरडी 2004 पृष्ठ 107, 1991 आरआरडी पृष्ठ 120, तथा 1990 आरएलडब्ल्यू द्वितीय पृष्ठ 543 की नजीर प्रस्तुत करते हुए रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की। हमने दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तामिल होने के उपरान्त पक्षकार द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा के रहते हुए भी मात्र इसी आधार पर डिक्री पारित नहीं की अपितु पक्षकारान के बयान लेखबद्ध करने के उपरान्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को हस्तान्तकरण नहीं माना जा सकता है क्योंकि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री किसी पक्षकार के अधिकारों की घोषणा मात्र है। न्यायालय की डिक्री द्वारा नये अधिकारों की उत्पति नहीं हुई है अपितु पहले से विधमान अधिकारों की घोषणा की गई है। जिसे हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता है न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट पक्षकार को अपील का उपचार प्राप्त होता है तथा धारा 232 की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —: 4 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रकरणों में नहीं किया जा सकता तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री वर्ष 1981 से पूर्व की होने से 1991 आरआरडी पृष्ठ 120 पर दी गई व्यवस्था से हम पूर्णतया सहमत है इस प्रकार उपरोक्त विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडू दान देथा)** **सदस्य**	

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

रेफरेन्स टी0 ए0 संख्या 3673/2004/पाली

सरकार बनाम केसूदान

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

रेफरेन्स टी0 ए0 संख्या 3673/2004/पाली

सरकार बनाम केसूदान